# महिला किसानों के अधिकार

भारत में व्यापक तौर पर काम करने वाली महिलाएं गहनता के साथ खेती में संलग्न हैं और प्रति एकड़ जमीन की खेती में पुरुष दिवस की तुलना में कहीं ज्यादा महिला दिवस का योगदान होता है। यह बहुत स्पष्ट है कि महिला किसान भारतीय खेती की रीढ़ हैं और भारत में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में भारतीय खेती बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी महिला किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को समाज और सरकार द्वारा मान्यता और समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक कि महिला किसानों को किसान तक की मान्यता नहीं दी गयी है। जब हम महिला किसानों की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है वे महिलाएं , जो अपनी स्वयं की भूमि पर खेती कर रही हैं, परिवार के स्वामित्व वाली जमीन पर खेती कर रही हैं, बटाईदार, जंगलों पर निर्भर महिलायें, ग्रामीण खेत आधारित महिलायें, महिला पशुपालक, महिला खेतीहर मजदूर आदि, आदि। किसानों के लिये राष्ट्रीय नीति 2007 के मुताबिक यह सभी महिलाएं किसानों के तौर पर श्रेणीबद्ध करने के लिये पूरा अधिकार रखती हैं। जब महिला किसान के अधिकारों की बात आती है तो यह महत्वपूर्ण है कि महिलावादी और कृषि पारिस्थितिकी ढांचे की समझ पहले रखी जाये। यही एकमात्र रास्ता है जिससे महिला किसानों को सही तरीके से सशक्त किया जा सकता है।

वैश्विक कृषि नीति पर परिचर्चा में अब यह भली भांति स्वीकार किया गया है कि महिला किसानों के मसलों को हल किये बिना कृषि विकास या खाद्य सुरक्षा को बनाकर नहीं रखा जा सकता। यह भी स्वीकार किया गया है कि अगर महिला किसानों को पुरुष किसानों के बराबर दर्जा दिया जाये तो कृषि उत्पादकता में सुधार अवश्य होगा (40 प्रतिशत तक)। इस तरह से जेंडर या लैंगिक समानता टिकाऊ कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

भारतीय कृषि में महिलावादी और पुरुषवादी दोनों ही तरह की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। महिलावादी कृषि की बात करें तो इसमें महिला किसानों को कुछ आजादी मिली है लेकिन उसी के साथ खेती की पूरी जिम्मेदारी का बोझ उनपर ही डाल दिया गया है लेकिन जो सहायता पुरुष किसानों को दी जाती है वह प्रदान नहीं की गयी है। वहीं पुरुषवादी प्रवृत्ति में महिलाओं को दरकिनार कर विषमतावादी समाज में कृषि आदान और उपज के बाजार से जुड़े होने के कारण खेती की पद्धति और कृषि आमदनी के बारे में विभिन्न निर्णय पुरुषों द्वारा लिये जाते हैं। भारत में सामान्य तौर पर खेती में गंभीर तनाव की स्थिति और बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्याओं के कारण महिला किसानों पर बोझ बढ़ रहा है। एक ओर महिलाओं पर बोझ बढ़ रहा है, वहीं किसान के तौर पर उनको मान्यता और सहायता स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जा रही है। एकल महिलाओं के मामले में खास तौर पर इस तरह के भेदभाव का खतरा होता है। असमानता और स्वीकार्यता का बड़ा संरचनात्मक कारण संसाधनों के स्वामित्व के असमान वितरण से उत्पन्न हुआ है।

**Discussion Note created for 4thKisanSwarajSammelan, Ahmedabad (Nov.2-4, 2018) by Sejal Dave and ShilpaVasavada, based on an earlier Note for 3rdKisanSwarajSammelan in April 2016. For more information, contact vasavada.shilpa@gmail.com and sejalldave@gmail.com. For more resources, visit: www.makaam.in**

महिला किसानों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिये निम्न व्यापक उपाय करने की जरूरत है:

(क) महिला किसानों की दृश्यता और पहचान के अभाव को दूर करना,

(ख) निजी और सामूहिक तौर पर संसाधनों पर उनके अधिकार सुनिष्चित करना,

(ग) कृषि सेवाओं पर पुरुष किसानों के समान पात्रता निर्मित और सुनिश्चित करना,

(घ) सामाजिक संरक्षण प्रदान करना, और

(ड) कृषि से संबंधित निर्णय लेने वाली सभी संस्थाओं में महिला किसानों के लिये समान स्थान सुनिश्चित करना।

**इस संदर्भ में कुछ मांगें निम्न प्रकार से हैं :**

**महिला किसानों के लिये विस्तारण, योजनायें और उद्यम**

1. कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन आदि से संबंधित सभी विभागों में यह सुनिश्चित करने के लिये निरंतर प्रयास किये जाने चाहिये कि वे अपनी विस्तार सेवाओं में महिला किसानों को सम्मिलित करें। कृषि अधिकारियों, विस्तार कार्मिकों और राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण में महिला किसानों और महिलाओं के जमीन के अधिकार की जानकारी शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अन्य महिला किसानों तक पहुंचने के लिये सफल महिला किसानों के कौशल और क्षमताओं को अंतिम विस्तार कड़ी और प्रशिक्षक कृषि सखी और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के तौर पर उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिये। ग्रामीण महिलाओं को महिला किसान की मान्यता मिलनी चाहिये और पंचायतों द्वारा जारी पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से आसानी के साथ कृषि विस्तार योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिये। इसमें महिला किसानों के लिये कृषि और विस्तार संबंधित कार्यक्रमों तथा योजनाओं से जुड़ने के लिये जमीन के रिकॉर्ड में नाम होने की शर्त हटायी जानी चाहिये। खंड स्तर पर ऐसा ढांचा बनाया जाना चाहिये जहां से सीमान्त और अन्य महिला किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और आदेश/प्रस्तावों के बारे में सूचनायें, संबंधित आवेदन और सहायता बिना किसी बाधा के हासिल कर सकें।

2. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा महिला किसान टिकाऊ कृषि, मिट्टी का संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास, उद्यानिकी, लघु स्तर पर पशुपालन, मुर्गीपालन और मछलीपालन जैसे कामों को कर सकें। भूमि विकास, खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने एवं सतत संसाधन प्रबंधन की योजनाओं तक महिलाओं की पहुंच में सहायता के लिये क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतियां बनाये जाने की आवश्यकता है।

3. टिकाऊ या सतत और निरंतर खेती के मामले में महिला हमेशा से अग्रणी और चैम्पियन रही हैं और बीजों की विविधता सहित प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने संरक्षण किया है। हजारों साल से महिलायें अपने समुदायों में बीज चयन करने, संरक्षण और बीज बचाने में आगे रही हैं। महिला किसानों के पास अन्य संबंधित जानकारी और सूचनाओं का भी भंडार है - महिला किसानों के मौजूदा ज्ञान और कौशल के साथ ही उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और पसंद को ध्यान में रखते हुए कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ाया जाना चाहिये। ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाना चाहिये जिसमें टिकाऊ कृषि व्यवस्था के लिये महिला और पुरुष किसान बराबरी से निर्णय लेने में भागीदार बन सकें जिससे परिवारों की नकद आमदनी में इजाफा हो और खाद्य और पोषण सुरक्षा में भी सुधार हो सके।

4. महिलाओं के परम्परागत ज्ञान पर आधारित विविधता आधारित पर्यावरण हितैषी खेती तथा उत्तर आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोंत्साहन और समर्थन देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खेती में महिलाओं को अधिक आजादी देती हैं, स्वास्थ्य के लिये सुरक्षित हैं, टिकाऊ हैं, खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करती हैं, रसायनिक खेती के प्रतिकूल प्रभावों से बचाती हैं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों को कम करती हैं।

5. उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं को सहायता सहित महिला किसानों के सामूहिक कृषि उद्यमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जहां यह जमीन को लीज पर देकर किया जाता है वहां ऐसी लीज को स्वीकृति और उनके रिकॉर्ड के लिये बटाई कानूनों में उपयुक्त बदलाव करने होंगे। महिला मछली पालकों और वन आश्रित महिला किसानों आदि के लिये मूल्य श्रृंखला विकास और बाजार निर्मित करने होंगे।

6. ज्वार, बाजरा मोटे अनाजों और ऐसी अन्य फसलों की खेती को लोकप्रिय बनाकर और प्रोत्साहित कर खेती को पोषण सुरक्षा की दिशा में मोड़ना होगा। ऐसी फसलों के उपार्जन को प्राथमिकता देनी होगी जिससे कि इनका सार्वजनिक वितरण प्रणाली में , आंगनवाड़ियों और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना में उपयोग हो सके। इसी प्रकार से बेहतर सेहत के लिये स्थानीय और परम्परागत व्यंजनों को भी महिला समूहों के माध्यम से लोकप्रिय किया जा सकता है।

7. यह अब बहुत भली भांति स्थापित हो गया है कि खेती में काम और श्रम में लैंगिक विभाजन मौजूद है। उत्पादन और फसल आने के बाद उसके प्रसंस्करण की प्रक्रिया, दोनों में ही महिलायें ऐसे बहुत से काम करती हैं जो कि अत्यधिक परिश्रम वाले माने जाते हैं। महिला और पर्यावरण हितैषी उपकरणों/औजारों के माध्यम से महिलाओं को उन्नत प्रौद्योगिकी से सशक्त करने को प्रोत्साहन देने की जरूरत है जो उनके कार्य के बोझ को कम करे, समय की बचत करे और उत्पादन को बढ़ाये लेकिन उनके रोजगार के अवसर को कम न करे। महिलाओं को कौशल प्रदान करना और उपयुक्त उपकरणों के उपयोग में प्रशिक्षित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये। स्त्री -पुरुष दोनों के उपयोग के लिये सुविधाजनक के रूप में

उपकरण/छोटे मशीन बैंक स्थापित करने के लिये कृषि श्रमिक महिलाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करना होगा। इस उद्देश्य से केरल के खाद्य सुरक्षा सेना/ ग्रीन आर्मी अनुभव को संशोधित कर लागू किया जा सकता है। सरकार को समूह स्तर पर छोटी और सीमान्त महिला किसानों के लिये अस्थायी आधार पर जरूरत के लिये उपकरण ले जाने और काम कर वापस कर देने की व्यवस्था करने पर निवेश करना चाहिये।

8. महिला किसानों के संयुक्त दायित्व समूहों जॉइंट लाएबिलिटी ग्रुप्स (Joint Liability Groups) के गठन को और प्रमुखता से किया जाना चाहिये। इसके लिये जहां जरूरी हो वहां साख गारंटी कोष से मदद की जा सकती है। इससे समूहों की साख सुविधा तक पहुंच बनेगी और वह भी अन्य किसान क्रेडिट कार्ड के अन्य लाभों के समकक्ष। केरल के कुदुम्बश्री के अनुभव को दूसरी जगहों पर लागू किया जाना चाहिये।

9. भू अभिलेखों में कृषक के नाम में महिला किसान का नाम दर्ज किये जाने को प्रोत्साहित करना चाहिये और इसपर जोर दिया जाना चाहिये जिससे उनको अधिक आसानी से संस्थागत साख उपलब्ध हो सके। फसल ऋण के साथ बीमा अनिवार्य होने के कारण इससे महिला किसानों को फसल बीमा सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

**<u>महिला किसानों के लिये संसाधनों के अधिकार</u>**

10. महिला किसानों के लिये संसाधनों के अधिकार के संबंध में जमीन और वन संसाधनों पर महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने वाले संबंधित कानून के वैधानिक प्रावधानों को कड़ाई से अमल में लाया जाना चाहिये। इनमें हिन्दू उत्तराधिकार कानून संशोधन 2005 और वन अधिकार कानून 2006 जैसे विधानों में निहित उत्तराधिकार के अधिकार शामिल हैं । साथ ही संपत्ति के स्वामित्व में महिलाओं के असमान हिस्से की समस्या को दूर करने के लिये संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिये। इसी बीच में लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिये परम्परागत कानूनों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

11. सरकारी जमीन पुनर्वितरण, जमीन खरीदी और जमीन लीज पर देने की सभी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देने के प्रयास किये जाने चाहिये जिसमें निजी या संयुक्त भूमि पट्टे के माध्यम से जमीन पर उनके स्वामित्व और नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें अकेली महिलाओं, दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं और दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिये। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जमीन वितरण नीतियों में वितरित की जाने वाली जमीन आकार के संबंध में और जमीन के प्रकार के संबंध में साथ ही जमीन के विकास के निवेश के संबंध में लाभप्रद हो। इसके अलावा महिलाओं को जमीन हस्तांतरण को अन्य विकास परियोजनाओं के लिये जमीन अधिग्रहण की तरह विकास के लिये लोक प्रयोजन माना जाना चाहिये। इसे प्राथमिकता माना जाना चाहिये।

12. निजी जमीन के मामले में महिलाओं के नाम पर जमीन के हस्तांतरण को पंजीयन और स्टाम्प शुल्क में रियायत आदि जैसे उपायों के द्वारा केवल महिला के नाम पर और /अथवा पति के नाम के साथ संयुक्त पंजीयन को प्रोत्साहन देना होगा। इस संदर्भ में गुजरात ने महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया है।
13. जल निकायों , कृषि योग्य बंजर जमीन और मछलीपालन के क्षेत्र में महिला मछली पालकों को जल निकाय लीज पर देने में महिला समूहों को प्राथमिकता देकर महिला किसानों के संसाधन अधिकारों को विस्तारित करना होगा। आवश्यकता बटाईदार के तौर पर काम कर रही महिला किसानों को मान्यता देने और उनको पंजीयित करने की है तथा किसानों के तौर पर उनकी विभिन्न पात्रताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की है।
14. पशुपालन और उत्पादन में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए और जो कि ग्रामीण महिलाओं के लिये आमदनी के सबसे बड़े स्रोत की तरह देखा जाता है, चारागाह की भूमि का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है तथा इसके लिये सभी प्रयास किये जाने चाहिये।
15. हमारी मान्यता है कि महिलायें सार्वजनिक भूमि की प्राथमिक उपयोगकर्ता और संरक्षक हैं। हम मांग करते हैं कि इसमें उनके अधिकार और पात्रता का संरक्षण किया जाना चाहिये। वन, चारागाह की जमीन, जल संसाधनों आदि सार्वजनिक संसाधनों पर इनके प्रबंधन और शासन में भूमिका सहित महिलाओं की पहुंच और नियंत्रण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा उसे सुदृढ़ करना चाहिये । अनेक सूक्ष्म अध्ययनों से यह जाहिर हुआ है कि इससे दोनों, महिलाओं के लिये और जिनका संरक्षण किया जाना है उन संसाधनों के लिये बराबर लाभप्रद स्थिति निर्मित होती हैं।

**<u>अन्य उपाय जो कि अपनाये जा सकते हैं</u>**

16. अन्य उपाय जो कि अपनाये जा सकते हैं उनमें शामिल हैं: जमीन के संबंध में साक्षरता को सुदृढ़ करना, महिला किसानों के लिये विपणन और मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण, परिवार की संपत्ति पर अपने हक हासिल करने में महिलाओं की सहायता के लिये गुजरात की तर्ज पर स्वभूमि केन्द्रों की स्थापना, महिला किसानों और उनके समूहों के लिये ऋण और कार्यशील पूंजी तक पहुंच का विस्तार करना, खेती को लाभप्रद बनाने के लिये अधो संरचना सहायता, बिजली, पानी, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा आदि का प्रावधान।
17. सरकार को विषेषकर सीमान्त महिलाओं (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) जिनकी सार्वजनिक जमीन पर निर्भरता अधिक है, उनका ज्ञान, क्षमता और अन्य समर्थन प्रणालियों जैसे कि सिंचाई, साख सुविधा आदि को विस्तार देने के लिये समेकित नियोजन के द्वारा विभिन्न योजनाओं और बजट को विस्तारित करने की प्रतिबद्धता दिखानी चाहिये। इसी प्रकार कम पानी वाली खेती में लगी महिला किसानों की ओर उपयुक्त और अधिक ध्यान

तथा समर्थन दिया जाना चाहिये। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जहां महिलाएं सबसे अधिक जोखिम में हैं वहां राहतकारी और अनुकूलन की रणनीति को शामिल किया जाना चाहिये।

18. सभी स्तरों पर, कृषि और सहायक क्षेत्रों के सभी संस्थानों में सभी निर्णय लेने वाले तथा निगरानी /समीक्षा वाले पदों पर महिला किसानों के लिये बराबर स्थान आरक्षित होने चाहिये।

19. मौजूदा कानूनों तथा विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये अधिक केन्द्रित हस्तक्षेप के लिये राजस्व गांव से आरंभ कर सभी स्तरों पर भिन्न भिन्न लैंगिक स्वामित्व से संबंधित डेटाबेस बनाने और उसे संधारित करने का प्रयास किया जाना चाहिये। उपयुक्त मंत्रालयों के माध्यम से समय उपयोग के सर्वेक्षणों के द्वारा कृषि और सहायक क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य को सटीक तरीके से परिलक्षित करने और उसकी जानकारी जुटाने की दिषा में प्रयास किये जाने की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियमित अंतराल से किये जाने वाले इन सर्वेक्षणों से प्राप्त होने वाले वेतन में महिला-पुरुष के पारिश्रमिक में अंतर, जेंडर संवेदी सामाजिक सुरक्षा नीतियों आदि सहित आंकड़ों की जानकारी नीतियों और कार्यक्रमों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

20. स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुविधाओं और बच्चों की देखभाल की सुविधाओं के प्रावधान को सामाजिक सुरक्षा कवर के हिस्से के तौर पर देखा और लागू किया जाना चाहिये जो कि पेंशन के अतिरिक्त सभी महिला किसानों तक विस्तारित किया जाये। शारीरिक तंदरुस्ती का संरक्षण इसका अभिन्न अंग है। हम सभी महिला किसानों के लिये मातृत्व हितलाभों और पात्रताओं, नौ महीने के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति के प्रावधान और मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण जन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के आश्चासन के सभी के लिये और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करते हैं।

21. ऐसी महिला किसान जिनके पतियों द्वारा आत्महत्या कर ली गयी है, वे विशेष तौर पर अधिक जोखिमों का सामना कर रहे हैं। उनको सतत और टिकाऊ खेती की पद्धति करने तथा बच्चों की शिक्षा के लिये सहायता दी जानी चाहिये। उनके उत्तराधिकार के हकों को सुरक्षित किया जाना चाहिये। इन महिला किसानों के कर्ज को एक बार में निपटारा करने की आवश्यकता है। उनकी कृषि आजीविका को जारी रखने के लिये राहत दिये जाने की जरूरत है।

महिला किसानों के उपरोक्त अधिकारों और पात्रताओं को हल किये बिना तथा भिन्नतापूर्ण आंकड़ों को जुटाने की बेहतर प्रणाली के साथ ही निर्णय प्रक्रिया में समानता के लिये संस्थागत सुधार लाये बिना महिला किसानों को सशकत नहीं किया जा सकता। जब महिला किसान सशक्त नहीं होंगी तो कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन, आजीविका सुरक्षा और खाद्य

सुरक्षा से संबंधित मसले भी निरंतर बने रहेंगे। खाद्य सुरक्षा, आमदनी की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण  तथा महिला किसानों की शारीरिक सुरक्षा के संरक्षण को सुनिश्चित करने का संपूर्ण नजरिया होना चाहिये। हमारा मानना है कि सरकार को महिला किसानों के उपरोक्त वर्णित अधिकारों को वैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिये व्यापक महिला किसान पात्रता कानून बनाकर लागू करना चाहिये।

गुजरात में
-महिला भूमि स्वामित्व का कार्यकारी समूह (WGWLO) के नाम से गतिशील नेटवर्क समूह मौजूद हैं जो कि महिला संसाधन अधिकारों, भूमि विकास, सतत कृषि और महिला किसानों के लाभप्रद कृषि उद्यमों पर नजर रखता है।
-सफलताएं भी हैं जैसे कि , महिलाओं के भूमि अधिकारों पर राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना, परिवार के भीतर जमीन हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में रियायतें, अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित करना तथा स्वभूमि केन्द्रों आदि के माध्यम से गांवों में महिला किसानों की सहायता के लिये प्रशिक्षण।

मकाम द्वारा चौथे किसान स्वराज सम्मेलन, अहमदाबाद (2-4 नवम्बर, 2018) के लिये तैयार चर्चा का नोट

अधिक सूचना के लिये संपर्क करें: *mahilakisan.makaam@gmail.com*
और *asha.kisanswaraj@yahoo.in*